न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 18/2022 (निगरानी पंचायत)
GCMS No: 2022/56

अनवान

1. श्री भंवरलाल भोई पुत्र श्री भेरुलाल भोई, निवासी पुलिस थाने के पास, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.) – निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती पूजा भोई पत्नि श्री योगेश भोई, निवासी पुलिस थाने के पास, ऋषभदेव , जिला उदयपुर (राज.)
2. ग्राम पंचायत ऋषभदेव, जरिये सरपंच ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री आशीष दोवडिया, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री पंकज कुमार कोठारी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत ऋषभदेव पट्टा जारी आदेश दिनांक 25.06.2022
(पट्टा संख्या 18001 मिसल संख्या 25/2022)

* निर्णय *

दिनांक– 28-09-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी के बेटे की बहु है। प्रार्थी के नाम से अपने स्वंय के मकान का एक बापी पट्टा दिनांक 10.07.2017 को नियमानुसार ग्राम पंचायत ऋषभदेव से जारी किया हुआ है। जिसका प्रार्थी एकमात्र स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। प्रार्थी की सम्पत्ति का दस्तावेज कही गुम हो जाने से विपक्षी संख्या 1 ने स्वंय के नाम से एक नया आवासीय भूमि का पट्टा दिनांक 25.06.2022 को बिना किसी प्रार्थी की स्वीकृति के जारी करा दिया, जबकि एक ही मकान के दो पट्टे जारी नहीं हो सकते है। इसलिए विपक्षी संख्या 1 का पट्टा निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। विपक्षी संख्या 1 के ग्राम पंचायत ऋषभदेव में बापी पट्टा हेतु आवेदन किया जिसमें कई वास्तविक जानकारी को छिपाकर झूठे तथ्य पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर गलत तरिके से बिना कोई विधि प्रक्रिया अपनाये अवैधानिक रुप से बापी पट्टा प्राप्त कर लिया जो बिल निरस्त के है। यह कि प्रार्थी ने अपनी मिसल ग्राम पंचायत ऋषभदेव में ढूंढवाया तो पता लगा कि उक्त असल पट्टा उसी मिसल में संलग्न था। अब प्रार्थी को सम्पत्ति का पट्टा मिल चुका है और विपक्षी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.01.12 12:02:20 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 द्वारा प्रार्थी की बिना स्वीकृति के विपक्षी संख्या 2 के यहॉ अवैध तरोके से जो पट्टा जारी कराया है वह निरस्त कराये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टे की मिसल की सम्पूर्ण पत्रावली में किसी भी पारिवारिक सदस्य की अनापत्ति उक्त सम्पत्ति के बापी पट्टा जारी करने बाबत् सहमति नहों दी गई है। बावजुद इसके भी बिना किसी विधिक प्रक्रिया के पट्टा जारी किया गया है जो विधि विरुद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। बापी पट्टे की मिसल में विपक्षी संख्या 1 द्वारा जो शपथ पत्र दिया गया है वह नितान्त गलत एवं झूठें तथ्यों को अंकित कर दिया गया है। इसी पत्रावली में मौका पर्चा रिपोर्ट जो बनाई गई है वह भी मनमर्जी से बनाई गई है एवं विधि विरुद्व तरीके से जो पट्टा जारी किया गया है वो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा मिसल संख्या 25/2022 पट्टा दिनांक 25.06.2022 विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में बिना किसी जांच पडताल के सीधे ही जारी किया गया है। इसलिए उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

विपक्षी संख्या 1 को अवैधानिक रूप से पट्टा प्राप्त कर प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की मकान/भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। पट्टे का जिला परिषद से विधि अनुसार अनुमोदन नहीं कराया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी जांच के पट्टा जारी कराया हैं। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 के द्वारा विपक्षी संख्या 2 से मिलीभगत कर सम्पत्ति हड़पने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, विपक्षी संख्या 1 द्वारा शपथ पत्र में गलत एवं झुठे तथ्यों को अंकित किया गया। जिस पर विपक्षी संख्या 2 द्वारा दिनांक 25.06.2022 को पट्टा जारी किया गया। उक्त आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध हैं अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे विपक्षी संख्या 2 द्वारा जारी कथित पट्टे को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री पंकज कुमार कोठारी, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत किया एवं प्रकरण मे बहस हेतु अनुरोध किया। मामले मे ग्राम पंचायत से मूल पत्रावली तलब की गई। नियत तिथि को उभय पक्ष द्वारा प्रकरण मे जबाब/बहस हेतु उपस्थित हुए एवं विपक्षी अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया कि अगर उक्त पट्टा निरस्त हो जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं ह।

मामले मे सर्वप्रथम धारा 5 मयाद अधिनियम पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता धारा 5 मयाद अधिनियम पर बहस प्रारंभ करते हुए अनुरोध किया कि उनके द्वारा विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध कि गई इस न्यायालय मे पेश कर रखी है, जिसमे विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी कथित पट्टे को निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.01.12 12:02:20 IST
Reason: SelfAttested

करने हेतु अनुरोध किया है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जारी पट्टे की जानकारी निगरानीकर्ता को 20.08.2022 को हुई एवं पट्टे की प्रमाणित प्रति प्राप्त होते ही उसके द्वारा निगरानी इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर दी हैं, फिर भी निगरानी प्रस्तुत करने मे किसी प्रकार की देरी पायी जाती है तो न्यायहित मे विलम्ब की अवधि को कण्ड़ोन कर मेरिट पर प्रकरण को निर्णित किया जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मयाद पर बहस सुनने एवं रेकर्ड का गम्भीरता से अवलोकन करने के उपरान्त यह तथ्य स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उक्त निगरानी विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे के लिए प्रस्तुत की गयी है एवं मयाद कंडोन किये जाने हेतु धारा 5, मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उभय पक्ष को सुनने एवं दस्तावेज के अवलोकन उपरान्त यह स्पष्ट है कि प्रकरण मे पट्टे के सही एवं नियमानुसार जारी होने अथवा न होने के बिन्दु को तय किया जाना हैं तथा पट्टा सही है अथवा नही, यह तथ्य मेरिट पर ही तय किया जा सकता हैं। न्यायहित में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को कंडोन की जाकर मेरिट पर प्रकरण निर्णित किया जाना हम उचित समझते है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 5, मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को कंडोन किया जाता है।

प्रकरण मे मूल निगरानो पर बहस सुनी गई। मूल निगरानी पर बहस प्रांरभ करते हुए निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा निगरानी मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे नियम विरूद्ध विपक्षी संख्या 2 द्वारा पट्टा जारी करना, अधिकारीयों एवं कर्मचारियो की मिलीभगत होना आदि आधारा पर ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा जारी पट्टे को विधि विरूद्ध बताते हुये निरस्त करने की मांग की एवं निवेदन किया अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावें एवं कथित पट्टा निरस्त किया जावें।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा बहस के दोरान कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टेधारक के पक्ष मे 25.06.2022 मे पट्टा पुरानाग्रह विनियमितीकरण नियम 157 (I) जारी किया गया है, एवं विपक्षी संख्या 1 द्वारा पट्टे का नियमानुसार शुल्क जमा किया गया हैं। निगरानीकर्ता का बापी पट्टा पूर्व में गुम हो गया था इसलिए विपक्षी संख्या 1 द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु विपक्षी संख्या 2 के यहॉ आवेदन किया गया। किन्तु बाद में पुराना पट्टा मिल जाने से यदि विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टा संख्या 18001 दिनांक 25.06.2022 निरस्त कर दिया जाता है तो उन्हे आपत्ति नहीं होगी।

हमने निगरानीकर्ता के अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.01.12 12:02:20 IST
Reason: SelfAttested

मनन किया। ग्राम पंचायत ऋषभदेव से प्राप्त पत्रावली संख्या 25/2022 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्व ग्राम धूलेव की आराजी संख्या 2379 रकबा 2.18 है. किस्म आबादी में निगरानीकर्ता का मकान कुल क्षेत्रफल 596.06 वर्गफिट स्थित है। एवं पूर्व में ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा उक्त मकान का पट्टा 10.07.2017 जारी किया जा चुका है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के समक्ष आवेदन करने पर ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा बिना किसी जांच के पुनः पट्टा संख्या 18001 दिनांक 25.06.2022 को जारी किया गया हैं। पत्रावली व पट्टे के आवेदन पर सरपंच के हस्ताक्षर/मार्किंग एवं पट्टे की कार्यालय प्रति पर सरपंच के हस्ताक्षर हैं। ग्राम पंचायत की आदेशिका के प्रारंभ एवं अन्त मे भी सरपंच के हस्ताक्षर है। एवं इसी हस्ताक्षर से विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे पट्टा जारी किया जाना स्पष्ट हैं। विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी पट्टे को विधिमान्य नहीं माना जा सकता है एवं उक्त पट्टा प्रथम दृष्ट्या ही त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होने से निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता हैं।

अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत ऋषभदेव, जिला उदयपुर द्वारा मिसल संख्या 25/2022 द्वारा विपक्षी संख्या 1 श्री पूजा भोई पत्नि श्री योगेश भोई के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18001 निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। निर्णय की एक–एक प्रमाणित प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर, विकास अधिकारी प.स. ऋषभदेव को प्रेषित की जावे एवं ग्राम पंचायत ऋषभदेव को मूल पत्रावली संख्या 25/2022 मय निर्णय पालनार्थ प्रेषित की जावें।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.01.12 12:02:20 IST
Reason: SelfAttested